"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई 2006—आषाढ़ 23, शक 1928

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिविल लाईन, जी. ई. रोड, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

क्रमांक 16/छ. रा. वि. नि. आ./2005.—विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की धारा (181) (2) की उपधारा (जेडके), सहपठित धारा 91 (2) एवं (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और छत्तीसगढ़ शासन की स्वीकृति से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम—2005

अध्याय 1. प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

(1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम—2005 कहलाएगा।

(2) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. विनियम का विस्तार :

ये विनियम आयोग के सचिव सहित, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे ।

3. परिभाषाएँ :

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(ए) **"केन्द्रीय अधिनियम"** से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2004 का क्रमांक 36)

(बी) **"आयोग"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग,

(सी) **"अध्यक्ष"** से अभिप्रेत है आयोग का अध्यक्ष,

(डी) **"सदस्य"** से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य,

(ई) **"नियुक्तिकर्ता"** से अभिप्रेत है इस विनियम के परिषिष्ठ–2 में दर्शायेनुसार नियुक्त करने वाला,

(एफ) **"राज्य शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन,

(जी) **"सचिव"** से अभिप्रेत है आयोग का सचिव,

(एच) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक),

(2) ऐसे शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ जिनका उपयोग इन विनियमों में किया गया है और जो इनमें परिभाषित नहीं किये गये हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में है ।

अध्याय–2 पदों की संख्या एवं वर्गीकरण

4. अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या एवं उनका वर्गीकरण

(1) आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या एवं वर्गीकरण परिषिष्ठ–1 में दर्शाये अनुसार होगा ।

(2) राज्य शासन से अनुमोदित होने की शर्त पर आयोग समय–समय पर परिषिष्ठ–1 में दर्शित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन, एवं उसे बढ़ा, घटा या समाप्त कर सकता है एवं पदों को पुनः वर्गीकृत कर सकता है ।

(3) आयोग, स्वयं द्वारा निर्धारित मानदेय एवं शर्तों पर उसकी सहायता हेतु सलाहकार एवं परामर्शदाताओं की नियुक्ति संविदा के आधार पर भी कर सकता है ।

5. पदों का भरा जाना

आयोग के लिये कंडिका–4 (1) के अनुसार प्रत्येक संवर्गों के सभी पदों पर हर-समय अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवाएँ लेने की बाध्यता नहीं होगी।

अध्याय 3 : नियोजन

6. अधिकारियों / कर्मचारियों का नियोजन

(1) एक अधिकारी / कर्मचारी को उसके श्रेणी के अनुसार उसकी योग्यता एवं उपयोगिता को देखते हुए, वह जिस पद पर नियुक्त हुआ हैं उसके अतिरिक्त अन्य किसी पद पर भी नियोजित किया जा सकता है बशर्ते की वह पद रिक्त हो और उस पद पर सेवाओं की आवश्यकता हो ।

(2) किसी अधिकारी / कर्मचारी को यदि एक या एक से ज्यादा पदों की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जावेगा ।

अध्याय 4 : नियुक्ति एवं सेवा की अन्य शर्तें

7. नियुक्ति का तरीका

(1) आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती निम्नलिखित तरीके से होगी :-
   (i) सीधी भर्ती से,
   (ii) पदोन्नती से, और
   (iii) केन्द्र / राज्यं शासन / शासन के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर।

(2) अधिकारियों / कर्मचारियों की भर्ती परिषिष्ठ-1 (अ) और (ब) में दर्शाये गये तरीकों से किया जावेगा ।

(3) आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों के नियुक्तिकर्ता अधिकारी, अनुशासनात्मक अधिकारी, अपील अधिकारी, एवं पुनर्विचार अधिकारी, परिषिष्ठ-2 में दर्शाये अनुसार होंगे ।

(4) इस विनियम के बनाये जाने के पहले आयोग द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति यदि उस पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं और निर्धारित अधिकतम आयु से कम हैं तो वे भी सीधी भर्ती हेतु पात्र होंगे।

(5) विभिन्न पदों के लिए आवश्यक योग्यता एवं अनुभव परिषिष्ठ-3 में दर्शाये अनुसार होगा, फिर भी आयोग यदि चाहे तो लिखित में कारण बताते हुए उपयुक्त प्रकरण में पद एवं व्यक्ति को देखते हुए नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता में छूट दे सकता है ।

(6) आयोग द्वारा समय-समय पर की गई प्रत्येक नियुक्ति, चरित्र एवं पूर्ण आचरण की जाँच के पश्चिात् होगी जैसा की आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाय।

8. चयन समिति का गठन

(1) परिषिष्ठ-1 के खण्ड (अ) में दर्शाये गये पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी जो की उम्मीद्वारों का चयन करने हेतु सिफारिश करेगी, :-
   (i) अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष होंगे,
   (ii) आयोग के सदस्य, और
   (iii) आयोग द्वारा सदस्य के रूप में नामांकित एक या एक से अधिक विषय विशेषज्ञ, और

(iv) आयोग के सचिव अथवा सचिव की अनुपस्थिति में आयोग के वरिष्ठतम संचालक समिति के प्राधिकृत संयोजक होंगे

(2) परिशिष्ठ–2 के खण्ड (ब) में दर्शाये गये पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी जो की उम्मीद्वारों का चयन करने हेतु सिफारिश करेगी :–

(i) संचालको एवं सचिव में से वरिष्ठितम अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा,
(ii) सचिव/संचालक, और
(iii) सदस्य के रूप में संयुक्त संचालक,
(v) अध्यक्ष द्वारा नामांकित उप सचिव अथवा कोई भी अन्य अधिकारी प्राधिकृत संयोजक होंगें।

(3)

(i) चयन समिति की सिफारिशें अंतिम होंगी एवं छः माह के लिए, या उस अवधि हेतु जैसा कि आयोग द्वारा आदेशित हो, वैध होंगी।
(ii) उपयुक्त प्रकरणों में समिति किसी पद के लिए स्वीकृत वेतन से उच्चतर वेतन या उस पद के वेतनमान के उच्चतर स्तर की अनुशंसा आयोग को विचार हेतु कर सकती है ।

(4) आयोग, द्वारा चयन समिति के लिए कार्य पद्धति बनाई जा सकती है ।

9. आयु सीमा :

सहायक ग्रेड–III, कम्प्यूटर सहायक, स्टेनो–टायपिस्ट, ड्राइवर, भृत्य और समकक्ष श्रेणी के कर्मचारियों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा राज्य शासन में लागू नियमानुसार होगी । दूसरे पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा आयोग द्वारा पदों के लिये आवश्यक कार्य अनुभव को देखते हुए तय की जा सकती है ।

10. आवेदन :

सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों की संख्या आयोग द्वारा निर्धारित की जावेगी और रिक्त पदों पर योग्य उम्मीद्वारों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से एवं रोजगार कार्यालय के द्वारा उपयुक्त उम्मीद्वार के नाम प्राप्त कर की जा सकती है।

11. प्रमाण पत्र :

आयोग में किसी भी पद पर सीधी भर्ती हेतु उम्मीद्वारों को निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा :–

(1) शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र,
(2) प्रथम नियुक्ति के मामल में उस शैक्षणिक संस्था जहाँ अंतिम बार अध्ययन किया गया हो अथवा उस शासकीय/सार्वजनिक उपक्रम जहाँ पूर्व में सेवा की गई हो, से चरित्र एवं व्यवहार प्रमाण पत्र,
(3) अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन–जातियाँ, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीद्वारों को राज्य शासन के नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी

किया गया जाति प्रमाण–पत्र, एवं

(4) राज्य शासन के नियमानुसार निवास प्रमाण पत्र।

12. आवेदन पत्रों की जाँच :

आयोग द्वारा आवेदन पत्र के जाँच के उपरान्त योग्य आवेदन से छटनी के उपरान्त उम्मीद्वारों का साक्षात्कार लिया जावेगा । रिक्त पदों की संख्या के आधार पर उम्मीद्वारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जावेगा ।

13. उम्मीद्वारों का चयन :

चयन समिति उम्मीद्वारों की वरीयता के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी को सिफारिश करेगी ।

14. नियुक्तियाँ :

(1) चयन समिति द्वारा वरीयता के आधार पर सिफारिश की गई सूची के अनुरूप ही सभी नियुक्तियाँ की जावेंगी ।

(2) सभी चयनित उम्मीद्वारों को जो पहले शासकीय/शासकीय उपक्रम में कार्यरत न हो, को नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र और चरित्र प्रमाणीकरण कंडिका 7 (6) के अनुरूप प्रस्तुत करना होगा ।

15. परिवीक्षा :

(1) सभी सीधी भर्ती परिवीक्षा के आधार पर दो वर्ष के लिए होगी ।

(2) परिवीक्षा की समयावधि में अधिकारी एवं कर्मियों को अर्जित अवकाश, असाधारण अवकाश व चिकित्सी अवकाश की पात्रता राज्य शासन के समकक्ष अधिकारियों एवं कर्मियों को मिलने वाली सुविधा के अनुरूप रहेगी। लेकिन परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा में अनाधिकृत अनुपस्थिति परिवीक्षा की समयावधि में शामिल नहीं होगी।

(3) यदि आयोग की दृष्टि में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण नही किया है तो आयोग परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए एक या एक से अधिक किस्तों में बढ़ा सकता है। यदि बढ़ाई गई अवधि में भी कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आयोग ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को सेवा से हटा सकता है ।

(4) ऐसे कर्मचारी जो परिवीक्षा अवधि में हैं, की सेवा आयोग एक माह की नोटिस देकर समाप्त कर सकता है ।

(5) यदि आयोग में शासकीय/सार्वजनिक उपक्रम से किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो वह व्यक्ति आयोग की सेवा में स्थाई होने तक पूर्व नियोक्ता में अपना लीयन (lien) रख सकेगा।

16. रिक्तियों का आरक्षण :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक/अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु पदों के आरक्षण एवं आयु सीमा से संबंधित छूट राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम एवं समय–समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार होंगे एवं इन विनियमों से प्रभावित नहीं होंगे ।

17. प्रशिक्षण :

(1) सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा आयोजित आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं उन्नयन पाठ्यक्रमों में शामिल होना होगा ।

(2) प्रशिक्षण/उन्नयन पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को एक निर्धारित अवधि की सेवा के लिए आयोग से अनुबंध करना होगा जो की एक माह की प्रशिक्षण हेतु एक वर्ष तक की अवधि से अधिक का नहीं होगा । यह अनुबंध अवधि, प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् अधिकतम दो वर्ष तक का होगा। आयोग में अनुबंधित अवधि तक सेवा में न रहने पर अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय तथा इस अवधि के समस्त वेतन एवं भत्ते आयोग को लौटाना पड़ सकता है।

(3) प्रशिक्षण के दौरान किसी तरह के दुराचरण/दुर्व्यवहार के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण से वापस बुलाने एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार आयोग के पास होगा । आयोग ऐसे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर होने वाले समस्त व्यय की वापसी हेतु निर्णय ले सकता है।

18. पदोन्नति :

पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का विवरण एवं पदोन्नति का क्रम परिशिष्ठ–4 में दर्शाये अनुसार होगा ।

सभी पदोन्नतियाँ पिछले 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावलियों में प्रतिबिम्बित कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर होगी । पदोन्नति हेतु उम्मीदवारों की चयन सूची उसी चयन समिति के द्वारा तैयार की जावेगी जिसका गठन इस विनियम की कंडिका 8 में सीधी भर्ती हेतु किया गया है ।

19. सेवानिवृत्ति :

समस्त अधिकारी/कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य शासन के नियमों के अनुसार आयोग की सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

20. आयोग अपनी आवश्यकतानुसार समय–समय पर निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर संविदा अथवा दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है । दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी यदि उपयुक्त पाये जाते हैं तो आयोग उन्हें संविदा पर भी नियुक्त कर सकता है ।

21. किसी अधिकारी/कर्मचारी की संविदा नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें आयोग निर्धारित करेगा जो की सांमान्यतः राज्य शासन के निर्धारित सेवा शर्तों के अनुरूप होगा ।

अध्याय 5 : पारिश्रमिक एवं अन्य लाभ

22. वेतनमान :

(1) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतनमान परिशिष्ठ–1 में दर्शाये अनुसार होगा। भृत्य, वाहन चालक एवं इसी श्रेणी के अन्य कर्मचारी जो दैनिक वेतन पर नियुक्त किये जाएंगे उन्हें कलेक्टर रायपुर द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर के आधार पर वेतन प्रदान किया जाएगा ।

(2) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते आयोग द्वारा निर्धारित किये जाएंगे ।

(3) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान का पुर्ननिर्धारण राज्य शासन में उसी वेतनवर्ग/वेतनमान के पुर्ननिर्धारण अनुसार होगा ।

(4) आयोग में नियमित स्थापना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता आदि प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

(5) राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को ब्याज सहित/ब्याज मुक्त ऐसे अग्रिम प्राप्त करने की पात्रता होगी जेसा कि आयोग द्वारा निर्धारित हों।

(6) केन्द्र शासन/राज्य शासन/सार्वजनिक उपक्रमों/शासन की स्वायत्त संस्थाओं से प्रति नियुक्ति पर लिये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति नियुक्ति भत्तों का निर्धारण आयोग द्वारा किया जावेगा ।

23. सेवानिवृत्ति/अधिवार्षिक लाभ :

(1) आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति/अधिवार्षिकीय लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

(2) छत्तीसगढ़ शासन/केन्द्र शासन/अन्य राज्य शासन/सार्वजनिक उपक्रमों से आयोग में संविलियन किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त उप कंडिका–1 में उल्लेखित प्रावधानुसार सेवानिवृत्ति पर प्रदान किये जाने वाले लाभ की गणना, उनके पूर्व सेवा काल हेतु पूर्व नियोक्ता की सहमति से निर्धारित अनुपातिक सेवानिवृत्ति लाभ के दायित्वों को ध्यान में रखकर दिया जावेगा ।

अध्याय 6 : विविध

24. संविदा सेवा

आवश्यकता पड़ने पर एवं उपयुक्त लिखित कारणों के अध्यधीन आयोग में रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा आधार पर किया जा सकता है और यह भर्ती सामान्यतः एक समय एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं होंगी ओर इस प्रकार नियुक्ति की अधिकतम अवधि 3 वर्षों की होगी किन्तु कुछ विशिष्ठे प्रकरणों में आयोग इस अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ा सकता है ।

25. शिथलीकरण के अधिकार :

आयोग जनहित में एवं आवश्यक कारणों का उल्लेख करते हुए इन विनियमों में शिथलीकरण कर सकता है। इसमें आयोग के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित आर्हता का शिथलीकरण भी शामिल होगा।

26. निर्वचन :

यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह आयोग द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा और यह निर्णय अंतिम होगा। विनियमों को लागू करने में किसी तरह की कठिनाईयों को दूर करने का अधिकार आयोग को होगा ।

27. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 का लागू होना

(1) आयोग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इन विनियमों के अध्यधीन, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा सामान्य शर्तें) नियम 1961 और यथासमय–समय पर जारी संशोधित प्रावधान लागू होंगे ।

(2) राज्य शासन द्वारा बनाये गये अन्य प्रासंगिक नियम भी आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे जो इन विनियमों के अतिरिक्त हों।

आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एन. के. रूपवानी)
सचिव.

परिशिष्ठ–1

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं पदों की संख्या

खण्ड–"अ"
अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया और वेतनमान

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्ग (छ.ग. शासन के वर्गीकरण के अनुसार)	वेतनमान (रू. में)	भर्ती का प्रकार
1.	सचिव	1	प्रथम	18400–500–22400	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति
2.	संचालक (इंजीयनियरिंग)	1	तदैव	तदैव	तदैव
3.	संचालक (टैरिफ)	1	तदैव	तदैव	तदैव
4.	संयुक्त संचालक (इंजीयनियरिंग)	1	तदैव	12000–375–16500	तदैव
5.	संयुक्त संचालक (टैरिफ)	1	तदैव	तदैव	तदैव
6.	उप सचिव	1	तदैव	तदैव	तदैव
7.	उप संचालक (इंजीयनियरिंग)	1	तदैव	10000–335–15200	सीधी भर्ती
8.	उप संचालक (टैरिफ)	1	तदैव	तदैव	तदैव
9.	वित्तीय विश्लेषक	1	तदैव	तदैव	तदैव
10.	विधि अधिकारी	1	तदैव	तदैव	तदैव

खण्ड—"ब"
कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया और वेतनमान

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्ग (छ.ग. शासन के वर्गीकरण के अनुसार)	वेतनमान (रू. में)	भर्ती का प्रकार
1.	निज सचिव	02	तृतीय	6500—200—10500	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति
2.	निज सहायक	02	तृतीय	5500—175—9000	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति
3.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	तृतीय	5000—150—8000	सीधी भर्ती
4.	सहायक ग्रेड—2 / कैशियर	02	तृतीय	4000—100—6000	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति
5.	सहायक ग्रेड—3	03	तृतीय	3050—75—3950—80—4590	सीधी भर्ती
6.	कम्प्यूटर सहायक	04	तृतीय	3500—80—4700—100—5200	सीधी भर्ती
7.	स्टेनोटायपिस्ट	02	तृतीय	3050—75—3950—80—4590	सीधी भर्ती
8.	वाहन चालक ग्रेड—1	02	तृतीय	3050—75—3950—80—4590	पदोन्नति
9.	वाहन चालक ग्रेड—2	02	तृतीय	2610—60—3150—65—3540	सीधी भर्ती
10.	भृत्य	07	चतुर्थ	2550—55—2660—60—3200	सीधी भर्ती

परिशिष्ठ–2

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी एवं समीक्षा प्राधिकारी

विवरण	परिशिष्ठ–1 के खण्ड 'अ' में सम्मिलित अधिकारियों के लिए	परिशिष्ठ–2 के खण्ड 'ब' में सम्मिलित कर्मचारियों के लिए
(1) नियुक्ति प्राधिकारी	आयोग	अध्यक्ष
(2) अनुशासनिक प्राधिकारी,	अध्यक्ष	सचिव
(3) अपील प्राधिकारी	आयोग	अध्यक्ष
(4) समीक्षा प्राधिकारी	–	आयोग

परिशिष्ठ—3

सीधी भर्ती वाले पदों के लिए योग्यता एवं अनुभव

क्र.	पदनाम	न्यूनतम आवश्यक योग्यता एवं अनुभव	चाही गई अतिरिक्त योग्यता/अनुभव
01	उप संचालक (इंजीयनियरिंग)	(ए) इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बी) विद्युत उत्पादन एवं उसकी उपयोगिता के क्षेत्र में 10–12 वर्ष का अनुभव (सी) विद्युत उत्पादन संयंत्र की योजना, रूपरेखा एवं संधारण का अनुभव (डी) लेखन एवं बोलचाल का अनुभव	(ए) मापदण्डों का विश्लेषण एंव विद्युत उत्पादन मापदण्डों को नियत करने एवं व्याख्या करने का ज्ञान (बी) विद्युत नियम एंव विद्युत क्षेत्र मे सुधार की जानकारी (सी) कम्प्यूटर साक्षरता
02	उप संचालक (टैरिफ)	(ए) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। (बी) विद्युत मंडल/विद्युत उपयोगिता के क्षेत्र में वाणिज्य संबंधी एवं विद्युत दरों के निर्धारण के क्षेत्र में 10–12 वर्ष का अनुभव (सी) पारेषण एवं वितरण तंत्र, नेटवर्क की उपलब्धता एवं लोड फ्लो की रूपरेखा, योजना एवं संचालन का अनुभव (डी) वाणिज्य एवं विंत्तीय विशलेषण में कुशलता (ई) लेखन एवं बोलचाल का अनुभव	(ए) विद्युत उपयोगिता के क्षेत्र में वित्त एवं लेखा की जानकारी (बी) विद्युत क्रय, विद्युत क्रय अनुबंध, वाणिज्यिक मामले एवं विद्युत दर विकसित करने का अनुभव (सी) विद्युत नियम एंव विद्युत क्षेत्र मे सुधार की जानकारी (डी) कम्प्यूटर साक्षरता
03	वित्तीय विशलेषक	(ए) एम.बी.ए.(वित्त) या सी.ए./आई.सी. डब्ल्यू.ए./सी.एफ.ए. (बी) 10–12 वर्ष का कार्य क्षेत्र में अनुभव (सी) वित्तीय विवरण के विश्लेषण एवं व्याख्या का पूर्ण ज्ञान (डी) लागत विशलेषण एवं लेखा का अनुभव (ई) कम्प्यूटर में एम.एस. ऑफिस/स्प्रेडशीट एवं डाटाबेस में कार्य करने में कुशलता (एफ) अच्छे लेखन एवं बोलचाल का अनुभव	(ए) ऊर्जा क्षेत्र में वाणिज्यिक ज्ञान एवं तत्सम्बंध में व्याख्या करने का ज्ञान एवं अनुभव (बी) मूल्यांकन एवं विद्युत दर निर्धारण की जानकारी

04	विधि अधिकारी	(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि (बी) वकालत करने की पात्रता (सी) कम से कम पांच वर्ष का व्यवसायिक अनुभव (डी) अच्छे लेखन एवं बोलचाल का अनुभव	(ए) विद्युत क्षेत्र का ज्ञान और/अथवा, अनुभव (बी) विनियामक नियमों की अथवा किसी यूटिलिटी का अनुभव (सी) कम्प्यूटर साक्षर
05	कनिष्ठ लेखाधिकारी	(ए) किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (बी) राज्य लेखा, कोषालय संचालन, आडिट, बजट, वेतन बिल एवं लेखा संधारण कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव।	(ए) अच्छे लेखन एवं बोलचाल की भाषा में दक्षता। (बी) कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव
06	सहायक ग्रेड–3	(ए) किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (बी) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी/अंग्रेजी टाईपिंग परीक्षा उत्तीर्ण	(ए) अच्छे लेखन एवं बोलचाल में दक्षता (बी) कम्प्यूटर साक्षरता
07	स्टेनो टायपिस्ट	(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (बी) किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से शीघ्रलेखन एवं हिन्दी/अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण (सी) कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान एवं अनुभव।	(ए) मान्यता प्राप्त मंडल से शीघ्रलेखन में गति 60 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी, अंग्रेजी मुद्रणलेखन 25/40 शब्द प्रति मिनट का अनुभव (बी) द्वि–भाषीय शीघ्रलेखन वाले व्यक्ति को प्राथमिकता।
08	कम्प्यूटर सहायक	(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए/पीजीडीसीएम **अथवा**	(ए) अच्छे लेखन एवं बोलचाल में दक्षता (बी) कम्प्यूटर हार्डवेयर, नेटर्वकिंग, वेवसाइट में अच्छा ज्ञान रखने वाले एवं अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा पास व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी।

		(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में स्नातक/बी.सी.ए. (बी) कम्प्यूटर के क्षेत्र में किसी भी बडे कार्यालय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव	
09	वाहन चालक ग्रेड–2	(ए) किसी भी मान्यता प्राप्त बोंड से न्यूनतम आठवीं पास (बी) हल्के वाहन चलाने का पांच साल पुराना ड्राइविंग लायसेंस होना चाहिए (सी) वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुभव	
10	भृत्य	किसी भी मान्यता प्राप्त बोंड से न्यूनतम आठवीं पास	—

परिशिष्ठ–4

पदोन्नति से भरे जाने वाले पद एवं उनका पदोन्नति का क्रम

क्र.	पदोन्नत पद	पद जिनसे पदोन्नत किया जावेगा	पात्रता
1	सचिव	उप सचिव संयुक्त संचालक (इंजीयनियरिंग) संयुक्त संचालक (टैरिफ)	5 वर्ष
2	संचालक (इंजीयनियरिंग)	संयुक्त संचालक (इंजीयनियरिंग)	5 वर्ष
3	संचालक (टैरिफ)	संयुक्त संचालक (टैरिफ)	5 वर्ष
4	संयुक्त संचालक (इंजीयनियरिंग)	उप संचालक (इंजीयनियरिंग)	5 वर्ष
5	संयुक्त संचालक (टैरिफ)	उप संचालक (टैरिफ)	5 वर्ष
6	निज संचिव	निज सहायक	5 वर्ष
7	सहायक ग्रेड–2	सहायक ग्रेड–3	3 वर्ष
8	वाहन चालक ग्रेड–1	वाहन चालक ग्रेड–1	3 वर्ष

Raipur, the 18th October 2005

No. 16/CSERC/2005.— In exercise of the powers conferred by clause (zk) of Sub-section (2) of Section 181 read with Section 91 (2) & (3) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), and with the approval of the Government of Chhattisgarh, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations; namely :—

Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Recruitment and conditions of service of officers and employees) Regulations, 2005.

CHAPTER-I (PRELIMINARY)

1. Short Title and Commencement

(1) These Regulations may be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Recruitment and conditions of service of officers and employees) Regulations, 2005.

(2) ***They*** shall come into force with effect from the date of their publication in the ***official*** Gazette.

2. Scope of Application

These regulations shall apply to all officers and employees of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission including the Secretary of the Commission.

3. Definitions

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires:-

(a) **'Central Act'** means Electricity Act, 2003, (No. 36 of 2003);

(b) **'Commission'** means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission;

(c) **'Chairman'** means the Chairman of the Commission;

(d) **'Member'** means the Member of the Commission;

(e) **'Appointing Authority'** means the appointing authority as specified in Annexure-II to these regulations.

(f) **'State Government'** means the Government of Chhattisgarh.

(g) **'Secretary'** means the Secretary of the Commission.

(h) **'Year'** means financial year (1st April to 31 March).

(2) Words and expressions used in these regulations but not defined, unless the context otherwise requires, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Electricity Act, 2003.

CHAPTER-II - CATEGORISATION AND NUMBER OF POSTS

4. Categorization and Strength of Officers and Employees

(1) The number, and categories of officers and employees of the Commission shall be as specified in Annexure -I.

(2) Subject to the approval of the State Government, the Commission may from time to time, change, increase, reduce, abolish, or re-categorize the officers and employees specified in Annexure-I,

(3) The Commission may also appoint on contract basis, for any suitable period, Advisors and avail of the services of Consultants, to assist the Commission, on such remuneration and other terms and conditions as may be decided by the Commission.

5. Filling up of the posts

Nothing in sub-clause (1) of Clause-4 shall be construed as requiring the Commission to have the officers/employees serving in all the categories of posts at all times.

CHAPTER-III - PLACEMENT

6. Placement of Officers / Employees

(1) Subject to exigencies of service or availability of posts, an officer/employee may be placed in any post other than the post to which he has been appointed, depending on his qualification and suitability corresponding to his grade.

(2) Any officer or employee may be required to hold more than one post for which no extra remuneration may be paid.

CHAPTER -IV - RECRUITMENT AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE

7. *Mode of* Appointment

(1) Recruitment of officers and employees of the Commission shall be through the following modes:

(i) direct recruitment,

(ii) promotion, and

(iii) deputation from the Central/State Government/Government undertakings.

(2) The method of recruitment of officers and employees shall be as specified in Part-A and Part-B of Annexure-I.

(3) The appointing authority, disciplinary authority, appellate authority and reviewing authority in respect of officers and employees of the Commission, shall be as specified in Annexure-II.

(4) The persons employed by the Commission prior to commencement of these regulations shall be eligible for being considered, for the purpose of direct recruitment to various grades irrespective of their age but subject to upper age limit prescribed in these regulations, provided they fulfill the prescribed eligibility criteria for the post.

(5) The qualification and experience ***required for various posts shall be*** as prescribed in Annexure III. However, the Commission after recording reasons in writing, may relax the eligibility criteria for appointment, in respect of posts and persons, in appropriate cases.

(6) All appointments shall be a subject to verification of character and antecedents as may be decided by the Commission from time to time.

8. Constitution of Selection Committee

(1) There shall be Selection Committee to consider and recommend candidates for appointment by direct recruitment to the posts mentioned in Part A of Annexure-I, consisting of the following:-

(i) Chairman of the Commission as its Chairman,

(ii) Member of the Commission, and

(iii) One or more experts / specialists of the subjects to be nominated by the Commission as members; and

(iv) Secretary of the Commission or senior most Director; in the absence of Secretary, as the Convenor of the Committee.

(2) There shall be a Selection Committee to consider and recommend candidates for appointment by direct recruitment to the posts mentioned in Part-B of the Annexure-I, which shall consist of the following: -

(i) Senior most officer amongst the Directors and Secretary, as its Chairman,

(ii) Secretary/ Director, and

(iii) Jt. Director, as members.

(iv) Deputy Secretary or any other officer nominated by the Chairman ***will be*** the convenor of the Committee.

(3) (i) The recommendation of the Selection Committee shall be final and remain valid for a period of 6 months or for a longer period as may be decided by the Commission.

(ii) The Committee may in suitable cases recommend higher pay than the pay which a post carries or at a higher stage in the pay scale of the post for consideration of the Commission.

(4) The Commission may lay down the procedure to be followed by the Selection Committee.

9. Age limit

The age limit for direct recruitment to the posts of Asstt Grade-III, Computer Assistant, Steno Typist, Driver, Peon and similar categories of employees shall be as per the prevailing rules of the State Government. ***The age limit for other posts to be filled by direct recruitment may be decided by the Commission keeping in view the years of professional experience required for the post.***

10. Application

The Commission may decide the number of vacancies to be filled by direct appointment and may invite applications from candidates eligible for appointment through advertisement in news papers or ***call for names of eligible candidates*** from Employment Exchange.

11.Certificates

The candidates for direct recruitment to any post in the Commission shall submit application along with the following documents: -

(1) the evidence of possessing the requisite educational qualification and experience;

(2) certificate of character and conduct from the educational institution last attended ***in case of first appointment or*** from the concerned Government / Public Sector Undertaking if he has served in these;

(3) the proof of age, which shall be the School / High School/ Higher Secondary School Certificate ***or certificate from*** Municipal Corporation / Municipal committee;

(4) certificate from the competent authority as per the rules of the State Government, in case of candidates belonging to S.C., S.T., O.B.C., or any other reserved category; and

(5) domicile certificate as applicable as per the State Government rules.

12. Processing of Applications

After scrutiny, the Commission shall consider all the valid applications and shall interview the short-listed candidates. The number of candidates to be called for interview may be decided taking into account the number of vacancies for which recruitment is being made.

13. Selection of candidates

The Selection Committee shall recommend the candidates in order of merit to the appointing authority.

14. Appointment

(1) All appointments shall be made on the basis of merit, as recommended by the Selection Committee.

(2) Every candidate selected for appointment, having not been in the service of Government / Govt. undertaking, shall be appointed subject to their medical fitness to be certified by a Medical Board as may be appointed by the Commission ***and character verification as per clause 7(6) ante.***

15. Probation

(1) All direct recruits shall be on probation for a period of two years from the date of their appointment.

(2) During the period of probation, the officers and employees shall be entitled for earned leave, extra-ordinary leave and medical leave at par with such provisions applicable to the officers and employees of the State Government of equivalent rank. However, the period of unauthorised absence during the service shall not be included in the probation period.

(3) If ***a direct recruit has not completed his period of probation to the satisfaction of*** the Commission, the Commission may extend the period of probation upto a maximum period of one year in one or more installments. If the performance, during the extended period also, is not found to be up to the mark, his services shall be liable for termination.

(4) The Commission may dispense with the services of a probationer after one month's notice.

(5) If a person serving in the Government or in a Public Sector Undertaking is selected for appointment in the Commission, he may be allowed to keep his lien on the post held just before joining, till confirmation in the Commission.

16. Reservation of Vacancy

Nothing these regulations shall affect the reservation of posts and relaxations in age limit, qualifications etc. required to be provided for candidates belonging to S.C., S.T., O.B.C. or minority / other categories of persons in accordance with the rules and orders issued by the State Government from time to time in this regard.

17.Training

(1) All officers and employees may be required to undergo such training or orientation course conducted in-house and/or outside, as may be prescribed by the Commission.

(2) Officers / employees required to undergo training/orientation may be required to execute a bond to serve the Commission for such period as may be prescribed which shall not exceed 12 months for every one month of training subject to a maximum period of two years, after completing the training or course. Failure to serve the Commission for the stipulated period will render the official liable to refund the money spent on training along with the emoluments paid during the period.

(3) Officers / employees charged with misconduct during the period of training, shall be called back from training and appropriate disciplinary proceedings may be initiated. They may be required to refund the amount spent on the training, if the Commission so decides.

18. Promotion

The posts which may be filled by promotion and the channel of promotion is as given in Annexure-IV.

All promotions shall be on the basis of merit assessed generally from performance as reflected in the confidential reports of the last five years. Selection of candidates for promotion shall be made by the same Selection Committee as constituted in clause 8 of these regulations for the selection of direct recruits.

19. Retirement

Officers/employees shall retire from the service of the Commission on attaining the age of superannuation in accordance with the prevailing rules of the State Government.

20. The Commission may also engage persons on contract or on daily wages as and when considered necessary on the terms and conditions prescribed by the Commission time to time. The persons engaged on daily wages may be considered for appointment on contract basis if found suitable.

21. Specification of conditions of service

The Commission may specify the conditions of service of an officer or an employee appointed on contract or deputation, which will be generally as per the rules of the State Government.

CHAPTER-V-REMUNERATION AND OTHER BENEFITS

22. Pay Scale

(1) The pay scales of the Officers/employees shall be as given in Annexure-I. For the posts of Peon, Driver and other similar categories, persons engaged on daily wages shall be paid at the rate fixed by the Collector ***of Raipur district*** from time to time.

(2) Remuneration and other allowances in respect of persons engaged on contract shall be as decided by the Commission.

(3) The pay of officers and employees of the Commission may be revised at par with officers/employees of corresponding grade /scale under the State Government.

(4) The Officers /employees of Commission borne on regular establishment shall be entitled to such allowances including house rent, conveyance and medical allowances, etc. as may be decided by the Commission time to time.

(5) Officers/employees shall be eligible to receive such interest/non-interest bearing advances admissible to officers/employees of the State Government as may be decided by the Commission.

(6) The deputation allowance of officers /employees taken on deputation by the Commission from Central Government, State Government, Public Sector Undertaking /Autonomous Bodies of the Government, may be as decided by the Commission.

23. Retirement/Superannuation Benefits

(1) Officers/ employees of the Commission shall be entitled to such retirement /superannuation benefits as may be decided by the Commission.

(2) For the officers/employees absorbed in the Commission from the Government of Chhattisgarh/Central Government/other State Governments/Public Sector Undertakings, the pensionary services rendered in such Governments /Public Sector Undertakings prior to the joining the Commission shall be taken into account for the purpose of sub-clause (1) above, provided that the Government / organisation, where the officer/employee was previously employed is willing to bear the proportionate pensionary liabilities for the period of service in that Government / organisation.

CHAPTER VI - MISCELLANIOUS

24. Contract Service

If the exigencies of the Commission's service so demands and after recording reasons therefor, any vacant post in the Commission may be temporarily filled through contract for a period normally not exceeding one year at a time and for a total period of three years. ***In exceptional cases the Commission may extend this period to five years.***

25. Power of relaxation

The Commission may, in the public interest and after recording reasons in writing, relax the provisions of these regulations, including the eligibility criteria for appointments to posts, in appropriate cases.

26. Interpretation

If any question arises as to the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the same shall be decided by the Commission and the decision of the Commission shall be final and binding. The Commission shall have power to remove difficulties in implementing the regulations.

27. Applicability of Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules. 1966 and Chhattisgarh Civil Services (General Condition of Service) Rules, 1961

(1) Subject to the provisions of these regulations, the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control, and Appeal) Rules 1966, Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules 1965 and Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, as amended from time to time, shall be applicable, mutatis mutandis, to the officers and employees of the Commission.

(2) Except as otherwise provided in these regulations, the other conditions of service of officers and employees of the Commission shall be regulated by the relevant rules of the State Government in force, for its employees.

By order of the Commission,

Sd/-
(N. K. RUPWANI)
Secretary.

ANNEXURE-I

CATEGORIES AND STRENGTH OF OFFICERS/EMPLOYEES IN THE CHHATTISGAR STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

PART-A

METHOD OF RECRUITMENT & PAY SCALES OF OFFICERS

S.No.	Name of Post	No. of posts	Category (as per Government of C.G.Classification)	Pay Scale (In Rs.)	Source of recruitment
1.	Secretary	1	I	18400-500-22400	Promotion/Deputation
2.	Director (Engg.)	1	-do-	-do-	-do-
3.	Director (Tariff)	1	-do-	-do-	-do-
4.	Joint director (Engg.)	1	-do-	12000-375-16500	Promotion/Deputation
5.	Joint Director (Tariff)	1	-do-	-do-	-do-
6.	Deputy Secretary	1	-do-	-do-	-do-
7.	Deputy Diretor (Engg.)	1	-do-	10000-335-15200	Direct Recruitment
8.	Deputy Director (Tariff)	1	-do-	-do-	-do-
9.	Financial Analyst	1	-do-	-do-	-do-
10.	Law Officer	1	-do-	-do-	-do-

PART-B

METHOD OF RECRUITMENT & PAY SCALES OF EMPLOYEES

S.No.	**Name of Post**	**No. of posts**	**Category (as per Government of M.P.Classification)**	**Pay Scale (In Rs.)**	**Source of recruitment**
1.	Private Secretary	02	III	6500-200-10500	Promotion/ Deputation
2.	Personal Assistant	02	-do-	5500-175-9000	-do-
3.	Jr. Accounts Officer	01	-do-	5000-150-8000	Direct Recruitment
4.	Asstt. Grade-II/Cashier	02	-do-	4000-100-6000	Promotion/Deputation
5.	Assistant Grade III	03	-do-	3050-75-3950-80-4590	Direct Recruitment
6.	Computer Assistant	04	-do-	3500-80-4700-100-5200	Direct Recruitment
7.	Steno Typist	02	-do-	3050-75-3950-80-4590	Direct Recruitment
8.	Driver Grade-I	02	-do-	3050-75-3950-80-4590	Promotion
9.	Driver Grade-II	02	-do-	2610-60-3150-65-3540	Direct Recruitment
10.	Peon	07	IV	2550-55-2660-60-3200	Direct Recruitment

ANNEXURE - II

Appointing Authority, Disciplinary Authority, Appellate Authority and Reviewing Authority for Officers and Employees of the CSERC

Particular	For officers included in Part 'A' of Annexure-I	For employees included in Part 'B' of Annexure-I
(i) Appointing Authority	Commission	Chairman
(ii) Disciplinary Authority	Chairman	Secretary
(iii) Appellate Authority	Commission	Chairman
(iv) Reviewing Authority	-	Commission

ANNEXURE - III

Qualifications and Experience for Direct Recruitment Posts

NAME OF THE POST	MINIMUM REQUIRED QUALIFICATION AND EXPERIENCE.	ADDITIONAL QUALIFICATIONS/ EXPERIENCE DESIRABLE
1. Deputy Director (Engineering)	a. Bachelor's degree in electrical or mechanical engineering from a recognized university. b. 10/12 years professional experience in large power utility in the field of generation. c. Experience in planning designing and operation of generating plants.. d. Good written and verbal communication skill.	a. Demonstrated knowledge in analytical modelling and setting standards of generation of electricity. b. Familiarity with electricity laws & power sector reforms. c. Computer literacy.
2. Deputy Director (Tariff)	a. Bachelor's degree in electrical engineering from a recognized university. b. 10/12 years professional experience in power utility with knowledge of commercial matters and tariff development in power utility/ Electricity Board. c. Experience in designing planning and operation of transmission and distribution system, network availability and load flow. d. Skill in economic analysis and financial analysis. e. Good written and verbal communication skill.	a. Knowledge of finance and accounts of a power utility. b. Experience in power procurement, power purchase agreements, commercial matters and tariff development. c. Familiarity with electricity law and power sector reform. d. Computer literacy.
3. Financial Analyst	a. MBA (Finance) or CA/ICWA/CFA b. 10-12 years professional experience c. Sound analytical and modelling skills and capability in Financial Statement Analysis. d. Experience in cost analysis and accounting. e. Use of MS Office/Spreadsheet and data base skills on computer f. Good verbal and written communication skills	a. Demonstrated knowledge and/or experience in power sector or commercial concern. b. Knowledge of pricing and tariff setting

4.	Law Officer	a. Degree in law from recognized University b. Eligibility to practice law. c. At least 5 years professional experience. d. Good written and verbal communication skill.	a. Knowledge and/or experience in the Power Sector. b. Experience in utility or regulatory law c. Computer literacy.
5.	Jr. Accounts Officer	a. Graduate from a recognized university. b. Five years professional experience in State Accounts, Treasury Operation, audit, budget, pay rolls and book keeping	a. Good communication skill. b. Experience of working on computer.
6.	Assistant Grade-III	a. Degree from recognized university in any discipline. b. Passed Hindi/English Typing Examination from recognized Board.	a. Good written and verbal communication skill. b. Computer literacy.
7.	Steno Typist	a. Degree from recognized university. b. Passed Shorthand from recognized Board and Hindi/ English Typing. c. Knowledge and practice of working on computer.	a. Shorthand speed should not less than 100 w.p.m. Typing speed 25/40 w.p.m. Writing speed in Shorthand 60 w.p.m. b. Preference will be given to person having bilingual typing and shorthand.
8.	Computer Assistant	a. Degree from recognized university and Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA) / PGDCM from recognized Institute / University OR b. BCA or graduate degree in computer from recognized university. c. 3 years work experience on computer in any large office.	a. Good written and verbal communication skill. b. Person having good knowledge of computer hardware, local area networking and website and who have passed English Typing from the Board will be given preference.
9.	Driver Grade-II	a. Minimum 8th pass from any recognized Board. b. Should hold driving license for Light Motor Vehicle for 5 year. c. Driving experience of 2 years.	
10.	Peon	a. Minimum 8th pass from any recognized Board.	

ANNEXURE - IV

POSTS WHICH MAY BE FILLED BY PROMOTION AND CHANNEL OF PROMOTION

Sl. No.	Promotion post	Post from which promotion to be made	Eligibility
1.	Secretary	Dy. Secretary Joint Director (Engineering) Joint Director (Tariff)	5 years
2.	Director (Engineering)	Joint Director (Engineering)	5 years
3.	Director (Tariff)	Joint Director (Tariff)	5 years
4.	Joint Director (Engineering)	Deputy Director (Engineering)	5 years
5.	Joint Director (Tariff)	Deputy Director (Tariff)	5 years
7.	Private Secretary	Personal Assistant	5 years
10.	Assistant Grade-II	Assistant Grade-II	3 years
11.	Driver Grade-I	Driver Grade-II	3 years

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई 2006—आषाढ़ 23, शक 1928

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2006

क्रमांक 17/सी. एस. ई. आर. सी./2006.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का क्रमांक 36) 181 (1), 181 (2) (जेड ए एवं जेड बी) तथा 86 (1) (आई) सहपठित धारा 57 एवं 59 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण कार्यान्वयन हेतु मानक) विनियम, 2006

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा प्रयुक्ति**

1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण कार्यान्वयन हेतु मानक) विनियम, 2006 कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत वितरण में रत विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा माने गये वितरण अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

1.4 ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषायें** :–

2.1 इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(ए) **'अधिनियम'** अर्थात् विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36);

(बी) **'आपूर्ति का क्षेत्र'** अर्थात् वह क्षेत्र जिसमें की अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु अधिकृत हो;

(सी) **'आयोग'** अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

(डी) **'अति उच्च दाब/अति उच्च वोल्टेज'** अर्थात् वह वोल्टेज, जो सामान्य परिस्थितियों में 33,000 वोल्ट से अधिक हो;

(ई) **'उच्च दाब/उच्च वोल्टेज'** अर्थात् वह वोल्टेज जो 650 वोल्ट से अधिक परंतु 33,000 वोल्ट से अधिक न हो;

(एफ) **'अनुज्ञप्तिधारी'** अर्थात् ऐसा व्यक्ति, जिसे धारा 14 के अधीन वितरण अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसे अधिनियम की इसी धारा के अधीन तथा धारा 172 के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी माना गया हो; और

(जी) **'निम्नदाब/निम्न वोल्टेज'** अर्थात् वह वोल्टेज, जो सामान्य परिस्थितियों में 650 वोल्ट से अधिक न हो ।

(एच) 'ग्रामीण क्षेत्र' से तात्पर्य है एक ग्राम या ग्रामों के समूह से बनने वाला कोई क्षेत्र, जैसा कि संविधान के तिहत्तरवे संशोधन अधिनियम 1992 में परिभाषित हो ।

(आई) 'शहर एवं कस्बे' से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र से है।

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त उन शब्दों या अभिव्यक्तियों का, जिनका प्रयोग इसमें किया गया है, किन्तु अपरिभाषित है, अर्थ वही होगा जो विद्युत अधिनियम, 2003 में है, अथवा उसके भी अभाव में उनका वही अर्थ होगा, जो विद्युत आपूर्ति के कार्य में सामान्यतया समझा जाता है ।

3. **कार्यान्वयन के मानक**

3.1 इन विनियमों की अनुसूची–I में उल्लेखित कार्यान्वयन् के मानक प्रत्याभूत मानक होंगे और अनुज्ञप्तिधारी इस रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए इन न्यूनतम सेवा मानकों का पालन और प्राप्ति करेगा।

3.2 इन विनियमों की अनुसूची–II में उल्लेखित कार्यान्वयन के मानक कार्यान्वयन के व्यापक मानक होंगे, जिन्हें अनुज्ञप्तिधारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, प्राप्त करने का प्रयास करना होगा ।

3.3 सभी उपभोक्ताओं से निष्पक्ष व्यवहार करने और मानकों के उल्लंघन संबंधी विवाद टालने हेतु, अनुज्ञप्तिधारी, क्रियान्वयन मानकों से सुसंगत अभिलेख उपभोक्तावार रखेगा ।

4. क्षतिपूर्ति

4.1 अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत आपूर्ति में असफलता, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, मीटर और देयकों के भुगतान इत्यादि से संबंधित उपभोक्ता की शिकायतों को विनिर्दिष्ट कार्यालय में पंजीबद्ध करेगा और उपभोक्ता को तत्काल शिकायत क्रमांक सूचित करेगा ।

4.2 यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची– I में विनिर्दिष्ट कार्यान्वयन के प्रत्याभूत मानकों को पूरा करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे प्रत्येक मानक के लिए अनुसूची– I में निर्धारित दर से प्रभावित उपभोक्ता को आर्थिक क्षतिपूर्ति करने को बाध्य होगा । परन्तु यह कि प्रत्याभूत मानक के अनुपालन या चूक के गंभीर मामलों में आयोग, उपभोक्ताओं की शिकायत या स्वाविवेक से, क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ा सकेगा ।

4.3 क्षतिपूर्ति के सभी भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत आपूर्ति के बकाया, वर्तमान और /या भावी देयकों में समायोजन द्वारा किये जायेंगे ।

4.4 अनुज्ञप्तिधारी को मानकों के अनुपालन की तैयारी हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उद्देश्य से, उपरोक्त खण्ड 4.2 में प्रदत्त क्षतिपूर्ति के प्रावधानो को इस विनियम को अधिसूचित किये जाने के दिनांक से लागू न करके अनुसूची– I के संलग्नक में दर्शाये प्रत्येक कार्यान्वयन के मानक के समक्ष लिखे दिनांक से लागू किया जायेगा।

5. क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए प्रक्रिया

5.1 उपभोक्ता द्वारा कार्यान्वयन के उन मानकों, जिनका उल्लंघन किया गया है, की ओर अनुज्ञप्तिधारी का ध्यानाकर्षण किया जावेगा और तद्नुसार उससे ली जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि का दावा प्रस्तुत किया जावेगा । उपभोक्ता इन विनियमों के साथ संलग्न आवेदन के प्रपत्र 'ए' में अपना दावा प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं के आवेदन की अभिस्वीकृति देने वाले अधिकारियों को पदांकित करेगा और क्षतिपूर्ति के भुगतान तथा निपटारे हेतु विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त शक्तियों को प्रत्यायोजन करेगा । ऐसा प्रत्यायोजन व्यावहारिक रूप से यथा शीघ्र परन्तु खण्ड 4. 4 के प्रावधानों के प्रारम्भ होने के पूर्व लागू करना होगा ।

5.2 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के दावे की राशि पर निर्णय लेगा, और यदि राशि भुगतान योग्य पायी जाती है तो वह आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से 90 दिनों के भीतर उपभोक्ता को राशि का भुगतान खण्ड 4.3 के अनुसार समायोजन के रूप में करेगा।

5.3 निर्धारित समयावधि के भीतर यदि अनुज्ञप्तिधारी क्षतिपूर्ति के भुगतान में असफल रहता है अथवा अन्यथा उपभोक्ता को संतुष्ट करते हुए उसके आवेदन का निराकरण करने में असफल रहता है, तो उपभोक्ता, अधिनियम की धारा 42 के निबंधनों के अन्तर्गत गठित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम से संपर्क कर सकता है और फोरम ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करेगा।

6. कार्यान्वयन के मानकों पर जानकारी

6.1 अधिनियम की धारा 59 (1) के अनुरूप प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी आयोग को निम्नलिखित जानकारी देगा :–

(ए) इन विनियमों की अनुसूची I तथा II में दर्शाये गये विषयो मानकों के स्तर की उपलब्धि के संबंध में त्रैमासिक प्रतिवेदन ।

(बी) उन मामलों की संख्या, जिनमें इन विनियमों के अधीन क्षतिपूर्ति देय हो तथा प्रत्येक मामले में प्रदत्त/देय राशि पर त्रैमासिक प्रतिवेदन।

6.2 आयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त उपरोक्त जानकारी को कम से कम वर्ष में एक बार उस रीति में, जो आयोग उचित समझे, प्रकाशन की व्यवस्था करेगा।

7. विमुक्ति

7.1 आयोग; युद्ध, सैन्य विद्रोह, सामाजिक तनाव, दंगे, बाढ़, चक्रवात, तड़ितघात, भूकम्प या अन्य बाधाओं या अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर के कारणों और हड़ताल, तालाबंदी, आग आदि जो अनुज्ञप्तिधारी के स्थापना एवं गतिविधियों को प्रभावित करें, जैसीं बाध्यकारी परिस्थितियों के दौरान; इन विनियमों में विनिर्दिष्ट कार्यान्वयन के मानकों को स्थगित रख सकेगा ।

7.2 आयोग, अनुज्ञप्तिधारी और प्रभावित उपभोक्ता समूह को सुनने के पश्चात् और इस हेतु का एक सामान्य आदेश जारी कर, अनुज्ञप्तिधारी को किसी मानक के कार्यान्वयन में उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति देने के दायित्व विमुक्त कर सकेगा, यदि आयोग इससे संतुष्ट हो कि ऐसी भूल अनुज्ञप्तिधारी के कारणों से भिन्न अन्य कारणों से हुई और उसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी ने अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने हेतु पूर्ण प्रयास किये थे ।

8. आदेश एवं व्यवहार निर्देश जारी करना

अधिनियम तथा इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन आयोग समय समय पर इन विनियमों के परिपालन और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में आदेश तथा व्यवहार निर्देश जारी कर सकेगा ।

9. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :

9.1 इन विनियमों के किसी प्रावधान को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आायोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसा कुछ भी करने का निर्देश दे सकेगा जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य हेतु आवश्यक या वांछनीय हो ।

9.2 इन विनियमों के परिपालन में उद्भूत होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी, आायोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर समुचित आदेश प्राप्त कर सकेगा ।

10. संशोधन की शक्ति

आयोग किसी भी समय इन विनिमयों अथवा इनसे संलग्न अनुसूचियों के किसी भी प्रावधान को बढ़ा, घटा, परिवर्तित, रूपांतरित या संशोधित कर सकेगा ।

11. व्यावृत्तियाँ

इस विनियमों की कोई भी बात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (वर्ष 1986 का क्रमांक 68) सहित किसी अन्य अधिनियम के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं सुविधाओं/विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेंगी ।

नोटः *इस विनियम के हिंदी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।*

आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एन. के. रूपवानी)
सचिव.

अनुसूची - I
(संदर्भ खण्ड 3.1, 4.2 एवं 6.1)
कार्यान्वयन के प्रत्याभूत मानक

I विद्युत आपूर्ति की बहाली

1. शिकायत प्राप्त होने पर उपभोक्ता द्वारा पूछताछ करने पर, अनुज्ञप्तिधारी उस संभावित समय की जानकारी देगा, जिसके भीतर विद्युत आपूर्ति बहाल की जावेगी ।

2. **सामान्य 'फ्यूज ऑफ कॉल'** – 'उच्चदाब ड्राप आऊट फ्यूज' और वितरण ट्रांसफार्मरों के निम्नदाब की तरफ़ के फ्यूज' बदलना या उपभोक्ता के परिसर में फ्यूज बदलना 'सामान्य फ्यूज ऑफ कॉल में शामिल होंगें। सामान्य फ्यूज ऑफ कॉल नगरों/कस्बों में 4 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टों के भीतर सुधारा जायेगा।

3. **'शिरोपरि (overhead) लाईन में व्यवधान** – इसमें प्रधान एवं अल्प व्यवधान हो सकते हैं। प्रधान व्यवधान में तार, ढॉचे, इत्यादि को बदलने की आवश्यकता हो सकती है । नगरों/कस्बों में लाईनो के अल्प व्यवधान होने पर छःघण्टों के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टो के भीतर लाईन चालू की जावेगी। बड़ा लाईन व्यवधान होने की दशा में नगरों /कस्बों में 24 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घण्टों के भीतर लाईन चालू की जावेगीं ।

4. **वितरण ट्रांसफार्मर (डी.टी) का खराब होना** – वितरण ट्रांसफार्मर खराब हो जाने की दशा में नगरों एवं कस्बों में तीन दिनों के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 7 दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी ट्रांसफार्मर बदलकर विद्युत आपूर्ति बहाल करेगा । तथापि, नजदीकी वितरण ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति तत्काल बहाल करने की संभावना पहले तलाशी जायेगी ।

5. **अधिसूचित शट डाउन** – लोड शेंडिग के अलावा अधिसूचित अवरोध के कारण विद्युत आपूर्ति में होने वाले व्यवधान को अनुज्ञप्तिधारी कम से कम 24 घण्टे पूर्व अधिसूचित करेगा और ऐसा व्यवधान एक दिन में 12 घण्टे से अधिक का नहीं होगा । अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्युत आपूर्ति की बहाली शीतकाल (अक्टूबर से फरवरी) में सायं 5 बजे के पूर्व तथा ग्रीष्मकाल (मार्च से सितंबर) में सायं 6 बजे के पूर्व हो जाये । अधिसूचित लोड शेडिंग के कार्यक्रम को वितरण केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर दर्शाया जायेगा और प्रभावित क्षेत्र के कम से कम दो समाचार पत्रो में छपवाया जायेगा । मुख्य औद्योगिक संघ/अन्य उपभोक्ता संघ तथा उच्चदाब और अन्य महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को ऐसे शटडाउन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिये ।

II विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता

वोल्टेज में उतार चढ़ाव – अनुज्ञप्तिधारी किसी उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति के प्रारंभिक बिन्दु पर घोषित वोल्टेज के संदर्भ में निम्नलिखित सीमाओं के भीतर वोल्टेज बनाये रखेगा :–

(ए) निम्न वोल्टेज के मामले में,	+ 6 % और - 6 %
(बी) उच्च वोल्टेज के मामले में,	+ 6 % और - 9 %
(सी) अति उच्च वोल्टेज के मामले में,	+ 10 % और -12.5 %

औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं को, जो यथा निर्धारित क्षमता के केपेसीटर उपलब्ध नहीं कराते, वोल्टेज उतार चढ़ाव के लेखे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी ।

III मीटरों के बारे में शिकायतें

1. अनुज्ञप्तिधारी शिकायत मिलने से 7 दिनों के भीतर निरीक्षण कर मीटर की शुद्वता की जांच करेगा । यदि मीटर काम न कर रहा हो (मीटर में रूकावट हो, गति धीमी या तेज हो, धीरे धीरे सरक रहा हो) तो अनुज्ञप्तिधारी अपने स्वयं के व्यय से मीटर बदलने की व्यवस्था करेगा । वह व्यवस्था कस्बों/शहरों में 15 दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिनों के भीतर की जावेगी ।

2. यदि मीटर अनुज्ञप्तिधारी के कारण जल जाये, तो अनुज्ञप्तिधारी के स्वयं के व्यय पर शिकायत से 7 दिनों के भीतर उसे बदल दिया जावेगा । यदि मीटर ऐसे कारणों से जला हो, जिसमें जिम्मेदारी उपभोक्ता की हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को मीटर की लागत 7 दिनों के भीतर जमा करने हेतु एक सूचना पत्र प्रेषित करेगा और उपभोक्ता से भुगतान प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर मीटर बदल देगा । भविष्य में मीटर की क्षति को टालने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही भी की जायगी ।

IV नये संयोजन / अतिरिक्त भार हेतु आवेदन

अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं को नये संयोजन प्रदान करने/अतिरिक्त भार स्वीकृत करने हेतु निम्नलिखित मामलों में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों से निर्देशित होगा तथा उनका पालन करेगा –

(ए) जहॉं विद्युत आपूर्ति विद्यमान नेटवर्क से उपलब्ध कराई जा सकती हो

(बी) जहॉं विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण नेटवर्क का विस्तार आवश्यक हो; और

(सी) जहॉं विद्युत आपूर्ति हेतु उपकेन्द्र का विनिर्माण आवश्यक हो ।

विभिन्न सेवाएं और उन्हें प्रदान करने की समयावधि, जो विद्युत प्रदाय संहिता में विनिर्दिष्ट है, संक्षिप्त में नीचे दर्शाई गई है :–

सारणी 'ए'

क्रमांक	अनुज्ञप्तिधारी की सेवायें	सेवा प्रदान करने हेतु समय सीमा
1.	**निम्नदाब संयोजन**	
(ए)	संपूरित आवेदन की प्राप्ति पर निरीक्षण की सूचना	3 कार्य दिवस
(बी)	नोटिस प्रेषण पश्चात् निरीक्षण करना	
	(ए) शहरी क्षेत्र	2 कार्य दिवस
	(बी) ग्रामीण क्षेत्र	5 कार्य दिवस
(सी)	मांग पत्र जारी करना	
	(i) आवेदक को प्राक्कलित प्रभार के भुगतान के लिए (यदि विस्तार कार्य की आवश्यकता न हो और संयोजन विद्यमान वितरण नेटवर्क से दिया जाना हो)–	
	(सी) शहरी क्षेत्र	5 कार्य दिवस
	(डी) ग्रामीण क्षेत्र	7 कार्य दिवस
	(ii) आवेदक को प्राक्कलित प्रभार के भुगतान के लिए (यदि विस्तार कार्य या ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना आवश्यक है) –	
	(ई) शहरी क्षेत्र	10 कार्य दिवस
	(एफ) ग्रामीण क्षेत्र	22 कार्य दिवस
(डी)	आपूर्ति प्रारंभ किये जाने हेतु विद्युत उपलब्धता की सूचना जारी करना/कनेक्शन प्रदान करना, जहां अनुज्ञप्तिधारी का वितरण तंत्र विद्यमान हो,	
	(i) आवश्यक प्रभारों के भुगतान के पश्चात् (यदि संयोजन विद्यमान वितरण नेटवर्क से किया जाना अपेक्षित हो)	
	(जी) शहरी क्षेत्र	15 कार्य दिवस
	(एच) ग्रामीण क्षेत्र	15 कार्य दिवस
	(ii) आवश्यक प्रभारों के भुगतान के पश्चात् (यदि विस्तार कार्य या ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो)	
	(आई) कृषि संयोजन को छोड़कर सभी संयोजन	60 दिवस
	(जे) कृषि संयोजन, ऐसे मौसम में जब खेत तक पहुंच उपलब्ध है	90 दिवस
	(के) कृषि संयोजन, ऐसे मौसम में जब खेत तक पहुंच उपलब्ध न हो	180 दिवस

2	**उच्च दाब संयोजन**	
(ए)	आवेदन प्राप्ति के पश्चात् साध्यता की सूचना देना	15 कार्य दिवस
(बी)	प्राक्कलित प्रभारों का मांग पत्र जारी करना (साध्यता की सूचना जारी होने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस
(सी)	आपूर्ति प्रारंभ किये जाने हेतु विद्युत उपलब्धता की सूचना जारी करना/प्राक्कलित प्रभार प्राप्त होने के पश्चात्, विद्युत निरीक्षक से स्वीकृति प्राप्त करने की शर्त पर, संयोजन जारी करना	
	(एल) यदि विस्तार कार्य न कियाँ जाना हो	30 दिन
	(एम) यदि विस्तार कार्य किया जाना हो	90 दिन
3	**अति उच्च दाब संयोजन**	
(ए)	आवेदन प्राप्ति के पश्चात् साध्यता की सूचना देना	15 कार्य दिवस
(बी)	प्राक्कलित प्रभारों का मांग पत्र जारी करना (साध्यता की सूचना जारी होने के पश्चात्)	60 कार्य दिवस
(सी)	आपूर्ति प्रारंभ किये जाने हेतु विद्युत उपलब्धता की सूचना जारी करना/प्राक्कलित प्रभार प्राप्त होने के पश्चात् विद्युत निरीक्षक से स्वीकृति प्राप्त करने की शर्त पर, संयोजन जारी करना	180 दिवस

टीप :— अनुज्ञप्तिधारी आपूर्ति के विस्तार में किसी ऐसे विलंब, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जावेगा, जो वैधानिक अनापत्ति, लाईन के रास्ते की अनुमति, भू–अर्जन अथवा मुख्य विद्युत निरीक्षक से अपने उच्च दाब या अति उच्च दाब स्थापना इत्यादि के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के उपभोक्ता के उत्तरदायित्व निर्वहन में विलंब आदि समस्याओं के कारण हुआ हो, जिस पर अनुज्ञप्तिधारी का नियंत्रण न हो ।

V स्वामित्व का अन्तरण और सेवाओं का रूपान्तरण

अनुज्ञप्तिधारी, स्वामित्व का अंतरण, श्रेणी परिवर्तन और विद्यमान सेवाओं का निम्नदाब से उच्च दाब और इसके विपरीत रूपान्तरण, निम्नलिखित समयावधि के भीतर कार्यान्वित करेगा :—

सारणी 'बी'

कमांक	अनुज्ञप्तिधारी की सेवायें	सेवा उपलब्ध कराने की समय सीमा
(ए) (बी)	स्वामित्व का अन्तरण उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन	आवश्यक दस्तावेजों और विहित शुल्क, यदि कोई हो, के साथ आवेदन की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर
(सी)	निम्नदाब सिंगल फेज से निम्नदाब थ्री फेज में तथा इसके विपरीत रूपान्तरण	उपभोक्ता द्वारा आवश्यक प्रभारों के भुगतान की तिथि से 30 दिनों के भीतर

(डी)	निम्नदाब से उच्चदाब तथा इसके विपरीत रूपांतरण	उपभोक्ता द्वारा आवश्यक प्रभारों के भुगतान और परीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर और यदि लाईन का विस्तार आवश्यक हो तो 90 दिनों के भीतर परन्तु मुख्य विद्युत निरीक्षक से ऐसे प्रतिष्ठान की अवनति प्राप्त कर लेने के उपभोक्ता के दायित्व में देरी होने के कारण अनुज्ञप्तिधारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा ।

VI उपभोक्ताओं के देयकों के बारे में शिकायतें

उन मामलों में जहां शिकायत उचित हो और जारी किये जा चुके किसी देयक का पुनरीक्षण आवश्यक हो, वहां आपूर्ति विच्छेद अथवा विलंबित भुगतान के लिए अतिरिक्त प्रभारों की वसूली हेतु देयक के भुगतान तिथि की गणना पुनरीक्षित देयक की तिथि से की जावेगी ।

अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे उपभोक्ता, जिसके संयोजन का विच्छेद विद्युत देयक का भुगतान न किये जाने के कारण कर दिया गया हो, भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत कर दिये जाने पर अनुसूची के अनुसार विद्युत आपूर्ति को पुर्नस्थापित करेगा।

प्रत्याभूत कार्यान्वयन मानक और उपभोक्ताओं की देय क्षतिपूर्ति की सारणी

क्र.	सेवा की प्रकृति	सेवा उपलब्ध कराने हेतु अधिकतम समयावधि दर्शाते हुए कार्यान्वयन मानक	चूक की दशा में प्रभावित प्रत्येक उपभोक्ताओ को देय क्षतिपूर्ति की राशि	दिनांक जिससे क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा
1.	**सामान्य 'फ्यूज ऑफ काल'**			
	शहर एवं कस्बों में	4 घण्टे	रू. 25/– (रू. 50/– यदि चूक शहर एवं कस्बों के लिये 24 घण्टे से अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 48 घण्टे से अधिक रहती है ।)	01.07.2007
	ग्रामीण क्षेत्र	24 घण्टे		
2.	**लाईन का व्यवधान**			
	शहर एवं कस्बों में	छोटा – 6 घण्टे बड़ा – 24 घण्टे	रू. 25/–	01.07.2007

	ग्रामीण क्षेत्र	छोटा – 24 घण्टे बड़ा – 72 घण्टे		
3.	**खराब वितरण ट्रांसफार्मर को बदलना यदि वितरण ट्रांसफार्मर के क्षेत्र में राजस्व पर 50 प्रतिशत से अधिक बकाया राशि होने की दशा में क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।**			
	शहर एवं कस्बों में	3 दिन	रू. 100/-	01.07.2007
	ग्रामीण क्षेत्र	7 दिन		
4.	**अधिसूचित शट डाउन की अवधि**			
	किसी एकल विस्तार की अधिकतम अवधि	12 घण्टे से अधिक नहीं	रू. 25/-	01.07.2007
	शट डाउन के बाद आपूर्ति की बहाली	ग्रीष्म ऋतु (मार्च से सिंतबर) में सायं 6 बजे तक तथा शीत ऋतु (अक्टूबर से फरवरी) में सायं 5 बजे तक		
5.	**वोल्टेज में उतार–चढ़ाव**			
	जहां नेटवर्क में विस्तार या वृद्वि न हो	10 दिवस	रू. 100/-	01.01.2008
	जहां वितरण नेटवर्क में विस्तार की आवश्यकता हों	शहरी क्षेत्र–90 दिन में ग्रामीण क्षेत्र–180 दिन में		
6.	**मीटर संबंधी शिकायतें**			
	निरीक्षण एवं शुद्धता की जांच	7 दिवस	रू. 25/- चूक के प्रति सप्ताह के लिये	01.01.21007
	धीमे, तेज, सरकने वाले या जाम मीटर बदलना	30 दिवस (केवल ग्रामीण निम्न दाब के लिए)15 दिवस (शेष सभी मामले)		
	जले हुए मीटर बदलना, यदि ऐसा उपभोक्ता के कारण, नहीं हो	7 दिवस		
	अन्य सभी मामलों में जले हुए मीटर बदलना	ज्ञात होने के 7 दिवस के भीतर उपभोक्ता को भुगतान हेतु सूचना देना और भुगतान प्राप्त होने पर 7 दिनों के भीतर मीटर बदलना		
7.	**नये संयोजन/अतिरिक्त भार हेतु आवेदन**			

	जहां विद्यमान नेटवर्क से आपूर्ति दिया जाना संभाव्य हो	सारिणी 'ए' में दिये अनुसार	प्रत्येक क्रियाकलाप में चूक के प्रत्येक दिन के लिए रू. 50/–	01.07.2007
	जहां संयोजन उपलब्ध कराने हेतु नेटवर्क के विस्तार/वृद्धि की आवश्यता हो	सारिणी 'ए' में दिये अनुसार	प्रत्येक क्रियाकलाप में चूक के प्रत्येक दिन के लिए, निम्नदाब के मामले में रू. 50/– प्रतिदिन और उच्चदाब एवं अतिं उच्चदाब के मामले में रू. 500/– प्रतिदिन	
	कृषि संयोजन	सारिणी 'ए' में दिये अनुसार	प्रत्येक क्रियाकलाप में चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50/– रूपए	
8.	**स्वामित्व का अंतरण तथा सेवाओं का रूपांतरण**			
	स्वामित्व के स्वत्व का अंतरण	सारणी 'ब' में दिये अनुसार	चूक के प्रत्येक दिन के लिए रू. 50/–	01.07.2007
	श्रेणी में परिवर्तन		चूक के प्रत्येक दिन के लिए रू. 500/–	
	निम्नदाब सिंगल फेज से थ्री फेज में रूपांतरण			
	निम्नदाब से उच्चदाब तथा इसके विपरीत रूपांतरण			
9.	**उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायतों को दूर करना**			
	यदि कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक न हो	24 घण्टों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिवस के लिए 25/–	01.07.2007
	निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए यदि अतिरिक्त जानकारी आवश्यक हो	7 दिनों के भीतर (कस्बे/नगर), 15 दिनों के भीतर (ग्रामीण)		
	उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए यदि अतिरिक्त जानकारी आवश्यक हो ।	30 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिये रू. 100/–	
10.	संयोजन के विच्छेद के पश्चात पुर्नसंयोजन (उपभोक्ता से भुगतान प्राप्त होने पर)	24 घण्टे (कस्बों/नगर), 72 घण्टे (ग्रामीण)	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50/– रू.	01.07.2007
11.	सुरक्षा राशि की वापसी (उपभोक्ता द्वारा औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात्)	60 दिवस	चूक के प्रत्येक दिन के लिए रू. 25/–	01.07.2007

अनुसूची - II
(संदर्भ खण्ड 3.2, 6.1)
कार्यान्यवन के व्यापक मानक

विश्वसनीयता के सूचकांक

इस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (आई ई ई ई) स्टैण्डर्ड (1998 का 1366) द्वारा निम्नलिखित विशवसनीयता/आऊटेज सूचकांको का निर्धारण वितरण अनुज्ञाप्तिधारी के लिए किया गया है

(ए) प्रणाली अवरोध की औसत बारंबारता का सूचकांक (SAIFI)

(बी) प्रणाली अवरोध की औसत अवधि का सूचकांक (SAIDI)

(सी) क्षणिक अवरोध की औसत बारंबारता का सूचकांक (MAIFI)

वितरण तंत्र के विश्वसनीयता सूचकांकों की गणना की विधि

वितरण अनुज्ञाप्तिधारी के लिए समग्र सूचकाकों की गणना मुख्यतः कृषि भार की आपूर्ति के संभरकों (Feeders) को छोड़कर आपूर्ति क्षेत्र के सभी 11 के.व्ही/33 के.व्ही संभरकों को लेकर की जायेगी और तत्पश्चात् उस माह में प्रत्येक संभरक में सभी अवरोधों की संख्या और उनकी अवधि का योग करेगें । सूचकांको की गणना निम्न लिखित सूत्र का उपयोग कर की जावेगी :-

1. **SAIFI** = $\frac{\sum_{i=1}^{n}(A_i * N_i)}{N_t}$ जहाँ -

Ai = (i) वें संभरक में उस माह में आये अवरोधों (प्रत्येक 5 मिनट से अधिक का हो, की कुल संख्या

Ni = (i) प्रत्येक अवरोध से प्रभावित वे संभरक का संबद्ध भार ।

Nt = वितरण अनुज्ञाप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 के.व्ही संभरकों पर कुल संबद्ध भार

n = अनुज्ञप्ति धारी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 के.व्ही के संभरको की संख्या (मुख्यतः कृषि भार की आपूर्ति वाले संभरकों को छोड़कर)

2. **SAIDI** = $\frac{\sum_{i=1}^{n}(B_i * N_i)}{N_t}$ जहाँ -

Bi = (i) वें संभरक में उस माह में आये अवरोधों की कुल अवधि ।

3. **MAIFI** = $\frac{\sum_{i=1}^{n}(C_i * N_i)}{N_t}$ जहाँ -

Ci = (i) वें संभरक में उस माह में आये क्षणिक अवरोधों (प्रत्येक 5 मिनट से कम या उसके बराबर हो) की कुल संख्या

टीप :— प्रत्येक माह के लिए सूचकांको का मान ग्रामीण तथा शहरी संभरकों के लिये अलग अलग प्रतिवेदित किया जाना चाहिए ।

(i) मुख्यतः कृषि भार की आपूर्ति में रत संभरको के लिए अनुज्ञप्तिधारी इन सूचकाकों के मान की गणना पृथक से करेगा । सूचकांको के गणना की विधि वही होगी, जो संभरको हेतु अपनाई गई हो ।

(ii) अनुज्ञप्तिधारी इन सूचकांको के मासिक मान का प्रतिवेदन 2006–2007 से प्रतिवर्ष देगा । अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना के आधार पर आयोग, प्रतिवर्ष इन सूचकाकों के लक्ष्य का स्तर अधिसूचित करेगा ।

समग्र कार्यान्वयन मानक की अनुसूची

क्र.	सेवा की प्रकृति	कार्यान्वयन के समग्र मानक
1.	**सामान्य 'फ्यूज ऑफ काल'**	
	शहर एंव कस्बो में	शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रो में प्राप्त शिकायतों में से कम से कम 90 % का निराकरण दर्शायी गई समय सीमा में किया जाय।
	ग्रामीण क्षेत्र	
2.	**लाइन व्यवधान**	
	शहर एंव कस्बों में	शहरों तथा कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रो दोनो में कम से कम 95 % मामलो का निराकरण समय सीमा के भीतर हो ।
	ग्रामीण क्षेत्र	
3.	**खराब वितरण ट्रांसफार्मर को बदलना**	
	शहर एंव कस्बों में	शहरों तथा कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रो में कम से कम 95 % मामलो में वितरण ट्रासफार्मर का प्रतिस्थापन निर्धारित समयावधि के भीतर हो।
	ग्रामीण क्षेत्र	
4.	**अधिसूचित शट डाउन की अंवधि**	कम से कम 95 % मामलों का निराकरण निर्धारित समयावधि के भीतर हो
	किसी एकल विस्तार में अधिकतम अवधि	
	शट डाउन के बाद आपूर्ति की बहाली	
5.	**वोल्टेज में उतार–चढ़ाव**	
	जहां नेटवर्क में विस्तार या वृद्वि की आवश्यकता न हो	कम से कम 95 % मामलों का निराकरण निर्धारित समयावधि के भीतर हो
	जहाँ वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक हो	

6.	**मीटर संबंधी शिकायतें**	
	निरीक्षण एवं शुद्धता की जांच	
	धीमे, तेज, सरकने वाले या जाम मीटर बदलना	कम से कम 90 % मामलो का निराकरण समयावधि के भीतर हो
	जले हुए मीटर बदलना, यदि ऐसा उपभोक्ता के कारण न हो	
	अन्य सभी मामलों में जले हुए मीटर बदलना	
7.	**नये संयोजन/अतिरिक्त भार हेतु आवेदन**	
	जहां विद्यमान नेटवर्क से आपूर्ति दी जाना साध्य हो	कम से कम 95 % मामलों का निराकरण निर्धारित समयावधि के भीतर हो
	जहां संयोजन उपलब्ध कराने हेतु नेटवर्क के विस्तार/वृद्धि की आवश्यता हो	
	कृषि संयोजन	कम से कम 90 % मामलो का निराकरण समयावधि के भीतर हो
8.	**स्वामित्व का अंतरण तथा सेवाओं का रूपांतरण**	
	स्वामित्व का अंतरण तथा सेवाओं का रूपांतरण	कम से कम 99 % मामलों का निराकरण निर्धारित समयावधि के भीतर हो
	श्रेणी में परिवर्तन	
	निम्नदाब सिंगल फेज से निम्नदाब थ्री फेज में रूपांतरण	
	निम्न दाब से उच्च दाब एवं इसके विपरीत रूपान्तरण	
9.	**उपभोक्ताओं के बिलो की शिकायतों को दूर करना**	
	यदि कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक न हो	कम से कम 90 % मामलों का निराकरण निर्धारित समयावधि के भीतर हो
	यदि निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए	
	अतिरिक्त जानकारी आवश्यक हो	
	यदि अतिरिक्त जानकारी उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक हो ।	
10.	**संयोजन विच्छेद के पश्चात पुनसंयोजन**	कम से कम 95 % मामलों का निराकरण निर्धारित समयावधि के भीतर हो
11.	**सुरक्षा राशि की वापसी (उपभोक्ता**	कम से कम 99 % मामलों का निराकरण

	द्वारा औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात्)	निर्धारित समयावधि के भीतर हो
12.	**स्ट्रीट लाईट**	
	लाईन के दोषों का सुधार	कम से कम 90 % मामलों का निराकरण निर्धारित समयावधि के भीतर हो (अधिकतम समय सीमा 24 घंटे होगी)
	फ्यूज़/दोषपूर्ण इकाई का प्रतिस्थापन	
13	**ट्रांसफार्मर खराब होना**	
	पॉवर ट्रांसफार्मर	2 % प्रतिवर्ष से अधिक न हो
	वितरण ट्रांसफार्मर	12 % प्रतिवर्ष से अधिक न हो
14.	**विद्युत दुर्घटना**	—
15.	**दोषपूर्ण मीटर (जले,बन्द, अकार्यशील, इत्यादि)**	मीटरीकृत स्थापनाओं का 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं
16.	**बिलिंग दक्षता**	एक बिलिंग चक्र में 100 प्रतिशत उपभोक्ताओं की बिलिंग होगी
17.	**वसूली क़ी दक्षता**	वर्तमान वार्षिक माँग का 92 प्रतिशत + वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि का 15 प्रतिशत
18.	**विश्वसनीयता के सूचकांक** **SAIFI** **SAIDI** **MAIFI**	ये मानक आयोग द्वारा अलग से विनिर्दिष्ट किये जायेंगे

प्रपत्र – अ

प्रभावित उपभोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि के दावे का आवेदन

1. उपभोक्ताआ का नाम : ....

2. पता : ....

3. संयोजन क्रमांक : ....

4. संक्षेप में शिकायत का विवरण : ....

....

....

....

....

....

5. शिकायत क्रमांक : ....

6. शिकायत दर्ज कराने का दिनांक एवं समय : ....

7. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शिकायत का निराकरण करने का दिनांक ,एवं समय : ....

8. कार्यान्वयन हेतु मानक विनियम के अनुसार शिकायत के निराकरण की निर्धारित समय सीमा : ....

9. शिकायत निराकरण के लिए लगी वास्तविक समयावधि । : ....

10. कार्यान्वयन हेतु मानक विनियम के अनुसार प्राप्ति योग्य राशि : ....

स्थान :– हस्ताक्षर

दिनांक / समय:–

- -

शिकायत प्राप्ति की अभिस्वीकृति (अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिया जाना)

दावा क्रमांक :– ....

दिनांक :– ....

उपभोक्ता का नाम तथा पता :– ....

संयोजन क्रमांक :– ....

अनुज्ञप्तिधारी के अधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर
(नाम, दिनांक एवं कार्यालय की मुद्रा)

Raipur, the 5th July 2006

No. 17/CSERC/2006.— In exercise of the powers under Section 181 (za) and (zb) and also under Section 86 (1) (i) read with Sections 57 and 59 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and all powers enabling it in that behalf, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby frames the following Regulations related to standards of performance in distribution of electricity.

CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (STANDARDS OF PERFORMANCE IN DISTRIBUTION OF ELECTRICITY) REGULATIONS - 2006

1. Short title, Commencement and Application

1.1 These Regulations shall be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Standards of Performance in Distribution of Electricity) Regulations, 2006.

1.2 These Regulations shall be applicable to all the Distribution licensees and deemed licensees engaged in the distribution of electricity in the State of Chhattisgarh.

1.3 These Regulations shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh.

1.4 They shall come into force from the date of their publication in the Chhattisgarh Rajpatra.

2. Definitions

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:

(a) 'Act' means the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003);

(b) 'Area of supply' means the area within which a licensee is authorized by his license to supply electricity;

(c) 'Commission' means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission;

(d) 'Extra High Tension/Extra High Voltage' means the voltage exceeding 33000 volts under normal conditions;

(e) 'High Tension/High Voltage' means the voltage exceeding 650 volts but not exceeding 33000 volts under normal conditions;

(f) 'Licensee' means a person who has been granted a distribution license under Section 14 and includes a person deemed to be a licensee under the same section of the Act and also a deemed licensee under section 172 of the Act;

(g) 'Low Tension/Low Voltage' means the voltage that does not exceed 650 Volts under normal conditions;

(h) 'Rural areas' means any area or areas comprising a village or group of villages, as defined under the constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992; and

(i) 'Town and cities' means areas other than rural areas.

2.2. Words or expressions used and not defined in these Regulations shall bear the same meaning as in the Electricity Act, 2003 or in the absence thereof, the meaning as commonly understood in the electricity supply industry.

3. Standards of Performance

3.1. The standards of performance specified in Schedule-I of these Regulations shall be the guaranteed standards of performance, and the minimum standards of service the licensee shall achieve and maintain in the discharge of his obligations as a licensee.

3.2. The standards of performance specified in Schedule-II of these Regulations shall be the overall standards of performance, which the licensee shall seek to achieve in the discharge of his obligations as a licensee.

3.3 The licensee shall maintain relevant records regarding the standards of performance consumer-wise in order to give a fair treatment to all consumers and avoid any dispute regarding violation of standards.

4. Compensation

4.1. The licensee shall register every complaint of a consumer relating to failure of power supply, quality of power supply, meters and payment of bills etc., at the designated office and intimate the complaint number immediately to the consumer.

4.2. If the licensee fails to meet the guaranteed standards of performance specified in Schedule-I, it shall be liable to pay to the affected consumer(s), monetary compensation at rates as indicated against each of the guaranteed standards of performance in the annexure to Schedule-I, provided that in serious cases of non-compliance with the standards of performance or default in compliance, the Commission may enhance the amount of compensation either suo-motu or on a complaint by consumer(s).

4.3. All payments of compensation shall be made by the licensee by way of adjustment against existing, current and/or future bills for supply of electricity.

4.4. With a view to allow sufficient time to the licencee for preparation for compliance with the standards, the provision regarding compensation as per clause 4.2 above shall be applicable from the date indicated against each standard of performance in the annexure to Schedule-I and not from the date of notification of these Regulations.

5. Procedure for payment of compensation

5.1 The consumer shall have to bring to the notice of the licensee the standard(s) of performance which have been violated and accordingly claim compensation amount from the licensee. The consumer shall submit the claim in an application, in Form A appended to these Regulations. The licensee shall designate officers who shall acknowledge consumers' claims and delegate adequate powers at different levels for settlement and payment of compensation. Such delegation shall be effected as early as practicable but well before the provisions of clause 4.4 comes into force.

5.2. The licensee shall take a decision on the claim of the consumer and if found liable, shall pay the amount to the consumer within 90 (ninety) days from the date of receipt of application by way of adjustment as per clause 4.3 above.

5.3 If the licensee fails to pay the compensation or otherwise fails to dispose of the application to the satisfaction of the consumer within the prescribed time, the aggrieved consumer may approach the Consumer Grievance Redressal Forum established in terms of Section 42 of the Act and the Forum shall consider such application.

6. Information on Standards of Performance

6.1. In accordance with the provision of section 59(1) of the Act, every licensee shall furnish the following information to the Commission:

(a) A quarterly report on the level of performance achieved in respect of matters covered in Schedule I and II of these Regulations.

(b) A quarterly report on the number of cases in which compensation was payable under these Regulations and the amount of compensation paid/payable in each case.

6.2 The Commission shall arrange for publication of the above information furnished by the licensees, at least once in a year, in the manner as it deemed fit.

7. Exemption

7.1. The standards of performance specified in these Regulations may be kept in abeyance by the Commission during force majeure conditions such as war, mutiny, civil commotion, riot, flood, cyclone, lightning, earthquake or other

force or cause beyond the control of the licensee and strike, lockout, fire, etc. affecting the licensee's installations and activities.

7.2. The Commission may by a general order issued for the purpose and after hearing the licensee and the affected consumer group, absolve the licensee of the liability to compensate the consumers for any default in the performance of any standard, if the Commission is satisfied that such default is for reasons other than those attributable to the licensee and further that the licensee has otherwise made efforts to fulfill his obligations.

8. Issue of orders and practice directions

Subject to the provisions of the Act and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of these Regulations and procedures to be followed.

9. Power to remove difficulties

9.1. If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, direct the licensee to do anything, not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

9.2. The licensee may make an application to the Commission and seek suitable orders to remove any difficulty that may arise in implementation of these Regulations.

10. Power to Amend

The Commission may, at any time, add, vary, alter, modify or amend any provisions of these regulations, or the schedules attached to these Regulations.

11. Savings

Nothing in these Regulations shall affect the rights and privileges of the consumers under any other law including the Consumer Protection Act, 1986 (Act 68 of 1986).

Note: In case of any difference in the interpretation or understanding of the provisions of the Hindi version of these Regulations with that of the English version (the original version), the latter will prevail and in case of any dispute in this regard, the decision of the Commission shall be final and binding.

By order of the Commission,

Sd/-
(N. K. RUPWANI)
Secretary.

SCHEDULE – I
(Refer to clauses 3.1, 4.2 and 6.1)
GUARANTEED STANDARDS OF PERFORMANCE

I. Restoration of Power Supply

1. On receipt of a complaint regarding failure of supply, the licensee shall inform the consumer in case he so desires, the likely time by which the power supply shall be restored.

2. **Normal Fuse-off calls:** Normal fuse-off call shall include replacement of HT drop out fuses and fuses on L.T. side of distribution transformers or at the consumer premises. Normal fuse -off call shall be attended to within 4 hours in cities/towns and within 24 hours in rural areas.

3. **Overhead Line Breakdown:** There may be major and minor line breakdowns. Major breakdown may require replacement of conductor, structures etc. Minor line breakdowns in cities/towns shall be attended to within 6 hours and in rural areas within 24 hours. Major line breakdowns shall be attended to within 24 hours in cites/towns and within 72 hours in rural areas.

4. **Distribution transformer (DT) failure:** The licensee shall restore supply in case of distribution transformer failure by replacing the transformer within 3 days in cities and towns and within 7 days in rural areas. The feasibility of restoring the supply through nearby distribution transformer shall, however, be explored first.

5. **Scheduled Shutdown:** Interruption in power supply due to scheduled outages, other than the load shedding, shall be notified by the licensee at least 24 hours in advance and the interruption shall not exceed 12 hours in a day. The licensee shall ensure that supply is restored not later than 5 PM in winter (Oct - Feb) and 6 PM in the summer season (Mar - Sept). The scheduled load shedding programme shall be displayed on the notice boards of distribution centres and be published in at least two newspapers of the affected area. Major industry associations/other consumer associations and HT and other important consumers should be given prior intimation about such shutdowns.

II. Quality of Power Supply

Voltage Variations: The licensee shall maintain voltages at the point of commencement of supply to a consumer within the limits stipulated hereunder, with reference to declared voltage:
(a) In the case of Low Voltage, +6% and -6%;
(b) in the case of High Voltage, +6% and -9%; and,
(c) in the case of Extra High Voltage, +10% and -12.5%.

No compensation on account of voltage variations shall be payable to industrial and agricultural consumers who do not provide capacitors as prescribed.

III. Complaints about meters

1. The licensee shall inspect and check the correctness of meter within 7 working days of receipt of a complaint. If meter is not working (stuck up, running slow or fast or creeping) the licensee shall arrange to replace the meter at licensee's own cost within 15 days in towns/cities and 30 days in rural areas.

2. If a meter is burnt out it shall be replaced at the licensee's own cost within 7 days of complaint, if the burning of meter is due to causes attributable to licensee. If the meter is burnt due to causes attributable to the consumer, the licensee shall serve a notice to the consumer for payment of cost of meter within 7 days and shall replace the meter within 7 days of receiving the payment from the consumer. Necessary corrective action shall also be taken to avoid damage to the meter in future.

IV. Applications for new connections/additional Load

The licensee shall be guided by and comply with the Chhattisgarh State Electricity Supply Code in matters of releasing of new connections/additional loads to consumers in the following cases

a) where power supply can be provided from existing network,

b) cases where power supply requires extension of distribution mains; and

c) cases where erection of substation is required to release supply

The various services and the time limits for rendering the services as specified in the Supply Code are summarized below:

Table-A

S.No.	Licensee Services	Time Limit for Rendering the Service
1	**LT connection**	
a)	Notice of inspection on receipt of complete application	3 Working Days
	Inspection after sending the notice	
b)	a) Urban areas	2 working days
	b) Rural areas	5 days
	Issue of demand note	
c)	(i) to the applicant for payment of estimated charges (if the extension work is not required and the connection is to be given from the existing network)	
	c) Urban areas	5 working days
	d) Rural areas	7 working days
	(ii) to the applicant for payment of estimated charges (if the extension work or enhancement of transformer capacity is required)	
	e) Urban areas	10 working days
	f) Rural areas	22 days

d)	Serving of power availability notice for commencement of supply/Commencement of supply in areas where licensee's distribution system exists (i) After payment of necessary charges (if the connection is required to be given from existing network) g) Urban areas h) Rural areas (ii) After payment of necessary charges (if extension work or enhancement in transformer capacity is required) i) All connections excluding agriculture j) Agricultural connection during season when clear access to fields is available k) Agricultural connection during season when no clear access is available	 15 working days 15 working days 60 days 90 days (if full cost of extension is paid) 180 days (if full cost of extension is paid)
2. a) b) c)	**High Tension Connection** Informing feasibility after receipt of the application Issue of demand note of estimated charges (after issue of notice of feasibility) Serving of power availability notice for commencement of supply/release of connection after receipt of estimated charges subject to receipt of clearance from Electrical Inspector l) If extension up to 100 meters work is involved m) If extension beyond 100 meters work is involved	 15 working days 30 days 30 days 90 days
3. a) b) c)	**Extra High Tension Connections** Informing feasibility after receipt of the application Issue of demand note of estimate charges after issue of notice of feasibility Serving of power availability notice for commencement of supply/release of connection after receipt of estimated charges subject to receipt of clearance from Electrical Inspector.	 30 working days 60 days 180 days

Note: *The licensee shall not, however, be held responsible for the delay, if any, in extending supply, if the same is on account of problems arising out of court cases, relating to statutory clearances, right of way, acquisition of land, or the delay in consumer's obligation to obtain approval of Chief Electrical Inspector for his High Tension or Extra High Tension installation, etc. over which the licensee has no control.*

V. Transfer of ownership and conversion of services

The licensee shall give effect to transfer of ownership, change of category and conversion of the existing services from low tension to high tension and vice versa within the following time limits:

TABLE-B

S. No	Licensee Services	Time Limit for Rendering the Service
(a) (b)	Transfer of ownership Change of consumer category	Within 15 days of receipt of application with necessary documents and prescribed fee, if any.
(c)	Conversion from LT 1-ph to LT 3-ph and vice versa	Within 30 days from the date of payment of necessary charges by the consumer.
(d)	Conversion from LT to HT and vice versa	Within 30 days from the date of payment of necessary charges and submission of test report by the consumer or 90 days in case extension of line is required. However, the licensee shall not be held responsible for any delay on account of delay in consumer's obligation to obtain approval of Chief Electrical Inspector for such installation.

VI. Complaints about consumer's bills

In case the complaint is genuine and revision of a bill already issued becomes necessary, the due date for payment of bill shall be reckoned from the date of the revised bill, for the purposes of disconnection of supply or for levy of additional charges for belated payment. The licensee will restore supply to a consumer, whose supply has been disconnected due to non-payment of electricity bills, as per the schedule after receipt of production of proof of payment by the consumer.

Annexure to schedule-I

SCHEDULE OF GUARANTED PERFORMANCE STANDARD AND COMPENSATION PAYABLE TO CONSUMER

Nature of Service	Standards of Performance Indicating the maximum time limit for rendering the service	Amount of compensation payable to each affected consumer(s) in case of default	Date from which compensation shall be payable
1. Normal Fuse-off call			
Town and cities	Within 4 hours	Rs.25/- (Rs. 50/- in case default exceeds 24 hours for towns / cities and 48 hours for rural areas respectively)	1.7.2007
Rural areas	Within 24 hours		
2. Line Breakdowns			
Towns and cities	(i) Within 6 hours (Minor) (ii) Within 24 Hours (Major)	Rs.25/-	1.7.2007
Rural areas	(iii) Within 24 hours (Minor) (iv) Within 72 Hours (Major)		
3. Replacement of Failed Distribution Transformer (DT)*			
Towns and cities	Within 3 Days	Rs.100/-	1.7.2007
Rural areas	Within 7 Days		
4. Period of Scheduled shut down			
Maximum duration in a single stretch	Not to exceed 12 hours	Rs.25/-	1.7.2007
Restoration of supply after shut down	By 6 PM in summer (Mar.-Sept) & 5 PM during winter (Oct.-Feb.)		
5.Voltage Variations			
Where no expansion or enhancement of network is involved	Within 10 days	Rs 100/-	1.1.2008
Where up-gradation of distribution system is required	Within 90 days (Towns/cities) Within 180 days (rural area)		
6. Meter Complaints			
Inspect and check correctness	Within 7 days	Rs 25/- per week of default	1.1.2007
Replace slow, fast, creeping or jammed meters	Within 30 days (Rural LT only) Within 15 days (All other cases)		
Replace burnt meters if cause not attributable to consumer	Within 7 Days		
Replace burnt meters in all other cases	Notice to consumer for payment within 7 days of **detection** and replacement of meter within 7 days from receiving payment		

Nature of Service	Standards of Performance Indicating the maximum time limit for rendering the service	Amount of compensation payable to each affected consumer(s) in case of default	Date from which compensation shall be payable
7. Application for new connection/ additional load			
Release of supply where providing connection is feasible from existing network.	***As given in Table-A***	Rs 50 for each day of default in each individual activity	
Release of supply where network expansion/ enhancement is required for providing connection	***As given in Table-A***	Rs.50 for each day of default in Case of LT and Rs. 500 for each day of default in case of HT & EHT, in each individual activity.	1.7.2007
Agriculture connections	***As given in Table-A***	Rs 50 for each day of default in each individual activity.	
8. Transfer of ownership and conversion of service			
Title Transfer of ownership			
Change of consumer category		Rs 50 for each day of default	
Conversion of LT 1-ph phase to LT 3-ph.	***As given in Table-B***		1.1.2007
Conversion from LT to HT and vice-versa		Rs 500 for each day of default	
9. Resolution of complaints on Consumer's Bills			
If no additional information is required	Within 24 hours	Rs 25/- for each day of default	
If additional information is required for LT consumers	Within 7 days (towns/cities) & Within 15 days (rural areas)		1.1.2007
If additional information is required for HT consumers	Within 30 days	Rs 100/- for each day of default	
10. Reconnection of supply following disconnection	Within 24 hours (towns/cities) Within 72 hours (rural areas) (of receipt of payment from consumer)	Rs 50/- for each day of default	1.1.2007
11. Refund of Deposits (After completion of formalities by the consumer)	Within 60 days	Rs 25/- for each day of default	1.1.2007

* No compensation is payable in case the arrears of revenue of the area covered by the DT is more than 50%.

SCHEDULE-II
(Refer to clauses 3.2 and 6.1)
OVERALL STANDARDS OF PERFORMANCE

Reliability Indices

The reliability/outage indices prescribed by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Standard 1366 of 1998 for the distribution licensee are:

(a) System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)

(b) System Average Interruption Duration Index (SAIDI)

(c) Momentary Average Interruption Frequency Index (MAIFI)

Method to compute Distribution System Reliability Indices

The indices shall be computed for the distribution licensee as a whole by stacking, for each month all the 11KV/33KV feeders in the supply area, excluding those serving predominantly agricultural loads, and then aggregating the number and duration of all interruptions in that month for each feeder. The indices would then be computed using the following formulae:

1. **SAIFI** $= \frac{\sum_{i=1}^{n}(A_i * N_i)}{N_t}$ Where,

A_i = Total number of sustained interruptions (each longer than 5 minutes) on i^{th} feeder for the month
N_i = Connected load of i^{th} feeder affected due to each interruption
N_t = Total connected load at 11KV in the Distribution Licensee's supply area
n = number of 11KV feeders in the licensed area of supply (excluding those serving predominantly agricultural loads)

2. **SAIDI** $= \frac{\sum_{i=1}^{n}(B_i * N_i)}{N_t}$ Where,

B_i = Total duration of all sustained interruptions on i^{th} feeder for the month.

3. **MAIFI** $= \frac{\sum_{i=1}^{n}(C_i * N_i)}{N_t}$ Where,

C_i = Total number of momentary interruptions (each less than or equal to 5 minutes) on i^{th} feeder for the month

Note: The feeders must be segregated into rural and urban and the value of the indices must be reported separately for each month.

(i) The licensee shall compute the value of these indices separately for feeders serving predominantly agricultural loads. The methodology for computation of indices shall remain the same as in the case of other feeders.

(ii) The licensee shall compute and report the monthly value of these indices annually from 2006-07 onwards. Based on the information provided by the Licensees, the Commission would notify the target levels for these indices annually.

SCHEDULE OF OVERALL STANDARD OF PERFORMANCE

Service Area	Overall standards of performance
1. Normal Fuse-off call	
Towns and cities	At least 90% calls received should be rectified within stipulated time limit in both cities and towns and rural areas
Rural areas	
2. Line Breakdowns	
Towns and cities	At least 95% of cases should be resolved within the time limit in both cities and towns and rural areas
Rural areas	
3. Replacement of Failed Distribution Transformer	
Towns and cities	At least 95% of DTRs should be resolved within the time limit in both cities and towns and rural areas
Rural areas	
4. Period of Scheduled shut-down	
Maximum duration in a single stretch	At least 95% of cases should be resolved within the time limit
Restoration of supply after shut down	
5.Voltage Variations	
Where no expansion or enhancement of network is involved	At least 95% of cases should be resolved within the time limit
Where up-gradation of distribution system is required	At least 90% of cases should be resolved within the time limit
6. Meter Complaints	
Inspect and check correctness	At least 90% of cases should be resolved within the time limit
Replace slow, fast, creeping or jammed meters	
Replace burnt meters if cause not attributable to consumer	
Replace burnt meters in all other cases	
7. Application for new connection/ additional load	
Release of supply where service is feasible from existing network.	At least 95% of cases should be resolved within the time limit
Release of supply where Network expansion/ enhancement required for providing connection	
Agriculture connections	At least 90% of cases should be resolved within the time limit

Service Area	Overall standards of performance
8. Transfer of ownership and conversion of service	
Title transfer of ownership	At least 99% of cases should be resolved within the time limit
Change of category	
Conversion of LT 1-ph phase to LT 3-ph.	
Conversion from LT to HT and vice-versa	
9. Resolution of complaints on consumer's Bills	
If no additional information is required	At least 90% of cases should be resolved within the time limit
If additional information is required for LT consumers	
If additional information is required for LT consumers	
10. Reconnection of supply following disconnection	At least 95% of cases should be resolved within the time limit
1. Refund of Deposits (After completion of formalities by the consumer)	At least 99% of cases should be resolved within the time limit
12. Street Light	
Rectification of line faults	At least 90% of cases should be resolved within the time limit (The maximum time limit will be 24 hours)
Replacement of fused/defective unit	
13. Transformer failures	
Power Transformer	Shall not exceed 2 per cent p.a.
Distribution Transformer	Shall not exceed 12 per cent p.a.
14.Electrical Accidents	-
15.Faulty Meters (MNR, Burnt, sticky, etc.)	Shall not exceed 2.5 per cent of metered installations
16. Billing Efficiency	100 % of the consumers to be billed during the billing cycle
17. Collection Efficiency	92% of current annual demand +15% of arrears at the beginning of year
18. Reliability Indices	
SAIFI	The standards will be separately laid down by the Commission
SAIDI	
MAIFI	

FORM A
APPLICATION FOR CLAIMING COMPENSATION AMOUNT BY THE AFFECTED CONSUMER

1	Name of the Consumer	:	....
2	Address	:	....
3	S.C. Number	:	....
4	Nature of complaint in brief	:	....
5	Complaint Number	:	....
6	Date and time of lodging complaint	:	....
7	Date and time the complaint is attended to by the Licensee	:	....
8	Standard time within which the complaint is to be attended to as per Licensees' Standards of Performance Regulations	:	....
9	Actual Time taken to attend to the complaint	:	....
10	Amount to be received as per Licensees' Standards of Performance Regulations	:	....

Date:
Place:

Signature

....

ACKNOWLEDGMENT (To be given by the Licensee)

Claim Number :

Date :

Name of the Consumer :

SC Number :

Signature of the Official of the Licensee
with Name, Seal and Date

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.